(340) (37)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99पार्ट   जयपुर, दिनांकः 23/3/015

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7–ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों/आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :–

1. पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी।
2. पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षों के लिये एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

यह छूट दिनांक 31.05.2015 तक राशि जमा कराये जाने पर ही उपलब्ध होगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101500426 दिनांक 16.03.2015 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/3/15
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं शासन उप सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
13. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

23/3/15
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(86)